International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(I), January - March, 2023, pp. 115-119

गाँधीजी का चम्पारण किसान आन्दोलन

डॉ. सुमित मेहता*

प्रस्तावना

किसी भी अच्छे कार्य के लिए किए गए संघर्ष को यदि उचित मार्गदर्शन और सही दिशा मिले तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। चम्पारण मे संघर्ष कर रहें किसानों के लिए एक व्यक्ति ने ऐसे ही मार्गदर्शक का कार्य किया, वह व्यक्ति थे मोहनदास कर्मचंद गाँधी। सन् 1840 में यूरोपीय कोठीवालों ने अधिक लाभ कमाने के लिए नील की खेती करना फायदेमंद समझा(1) क्योंकि उस समय चीनी का व्यवसाय मंदी की ओर था। यूरोपियों ने तब रामनगर और बेतिया राज्य से चम्पारण में अस्थायी अथवा स्थायी पट्टों की जमीने लेकर अपनी कोठियाँ स्थापित कर, नील की खेती शुरू की। सबसे पहले सन् 1813 में बारा में नील की कोठी खोली गई। अंग्रेज व्यापारियों (निलहे साहब) को राज्य का ऋण चुकाने के लिए राज्य को कुछ तय मालगुजारी देनी होती थी।(2) उत्तर बिहार में दो तरीकों से नील की खेती करवायी जाती थी। पहला तरीका तो यह था कि निलहे साहब अपनी देखरेख में रैयतों से उनके ही हल–बैल की सहायता से खेती करवाते थे और उस समय के प्रचलित कृषि उपकरण स्वयं के लिए रख लेते थे। रैयतों को उनके परिश्रम के बदले में बहुत ही कम मेहनताना दिया जाता था। रैयतों का जीवन निलहे साहबों के गुलामों की तरह हो गया था।

चम्पारण में सबसे अधिक प्रचलित दुसरा तरीका तीन काठिया था। इसमें किसान को लम्बी अवधि तक 20, 25 अथवा 30 वर्ष तक कोठी के खेत में अथवा प्रति बीघा खेत के तीन चौथाई (कट्ठें) में नील उपजना पड़ता था।(3) पहले तो खेती का क्षेत्र पाँच चौथाई में रहता था किन्तु 1867 में इसे चार चौथाई और उसके बाद 1868 में तीन चौथाई कर दिया गया। इसी कारण से इस प्रथा का नाम तीन काठिया हो गया। साटा (किसान और जमींदार के बीच समझौते का दस्तावेज) के अन्तर्गत किसान को नील की खेती करनी होती थी और किसान यह लिखकर देता था कि वह हर साल एक निश्चित रकबे में नील की खेती करेगा और बदले में उसे एक निश्चित रकम पेशगी मिलेगी। केवल बीज कोठीदार देता था बाकि का सारा कार्य, खेत की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक, किसान अपने खर्चे से करता था।

एक बीघा खेत में उत्पन्न नील का कितना दाम किसान को दिया जाना है यह साटे में पहले ही तय होता था। जुताई के समय नील के दाम का कुछ हिस्सा किसान को बिना ब्याज के पेशगी के रूप में दिया जाता था किन्तु यह हिस्सा किसान को नगद ना देकर उसके लगान खाते में जमा कर दिया जाता था। नील के दामों को कई वर्षों तक बढाया ही नहीं जाता था जबकि अन्य चीजों के दाम कई गुना बढ़ जाते थे। सबसे अधिक लाभ निलहे को होता था। कभी–कभी तो किसानों को बहुत कम मजदूरी देकर अथवा बिना मजदूरी दिये ही काम करवा लिया जाता था। नील की पैदावार ना होने पर किसान से भारी जुर्माना लिया जाता था। किसानों को स्वयं की जमीन में खेती करने का समय ही नहीं मिल पाता था।(4) यदि कोई किसान इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे कठोरता से दबा दिया जाता था।

---

* सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर, राजस्थान।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसम्बर, 1916 के 31वें लखनऊ अधिवेशन में गाँधीजी का ध्यान चम्पारण समस्या की ओर आकृष्ट हुआ। कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चम्पारण के राजकुमार शुक्ल, जो कि बिहार के राजनीतिक एवं किसान नेता थे एवं जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर निलहें साहबों के अत्याचारों का अनुभव था, ने गाँधीजी को चम्पारण की स्थिति से अवगत करवाते हुए उन्हें चम्पारण आने के लिए कहा। अधिवेशन में चम्पारण के किसानों और निलहे साहबों के संबंध पर भी एक प्रस्ताव पारित होना था। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया और गांधीजी ने शीघ्र ही चम्पारण आने का वचन दिया।

7 अप्रैल, 1917 को गाँधीजी ने राजकुमार शुक्ल को अकेले ही कलकत्ता आने के लिए लिखा। राजकुमार शुक्ल कलकत्ता आये और गाँधीजी उनके साथ 9 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। पटना में मजहरूलहक नामक व्यक्ति, जो कि गाँधीजी को लंदन से जानते थे, उन्हें अपने यहाँ ले गये। यहाँ से गाँधीजी गाड़ी से मुजफ्फरपुर पंहुचे जहाँ कॉलेज के प्राध्यापक जे.बी. कृपलानी ने गाँधीजी का स्वागत किया। मुजफ्फरपुर के एक रईस श्री श्यामनन्दन सहाय गाँधीजी को अपने घर ले गये। यहाँ पुरी के राजेन्द्र प्रसाद, दरभंगाा से ब्रजकिशोर बाबू तथा यहीं के स्थानीय वकील गाँधीजी से मिले। गाँधीजी ने यहीं से अपनी कार्ययोजना की शुरूआत की। क्योंकि गाँधीजी को यहाँ की स्थानीय भाषा को समझने में कठिनाई होती थी अतः उन्होनें अपने लिए द्विभाषीये की मांग की। 11 अप्रैल 1917 को गाँधीजी ने प्लान्टर्स एसोसियेशन के सचिव, विल्सन को अपने चम्पारण आने का कारण बताया। विल्सन ने गाँधीजी को व्यक्तिगत रूप से मदद करने का भरोसा दिलाया।[5]

12 अप्रैल 1917 को गाँधीजी ने एक पत्र तिरहूत के प्रमंडल आयुक्त एल.एफ. मॉर्सहेड को अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा कि ''मैं नील की खेती करने वाले भारतीयों की स्थिति की जांच स्थानीय प्रशासन के सहयोग से करना चाहूँगा।'' प्लान्टर्स एसोसियेशन के सचिव, विल्सन ने गाँधीजी को लिखा कि उन्हें प्लान्टर्स और उनकी रैयतों के बीच टांग नहीं अडानी चाहिए जिसके जबाव में गाँधीजी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वे स्वयं को बाहर का आदमी नहीं समझते हैं और यदि रैयत चाहती है तों उन्हें जांच करने का पूरा अधिकार है।[6] 13 अप्रैल को ही आयुक्त ने भी गाँधीजी को वापस जाने को कहा। अब तक गाँधीजी चम्पारण की गम्भीर स्थिति को समझ चुके थे। अतः उन्होनें श्री मगनलाल गाँधी को 15 अप्रैल 1917 को एक पत्र लिखा[7] और बताया कि यहां स्थिति बहुत ही गम्भीर है जिससे निपटने के लिए उन्हें जेल जाने को भी तैयार रहना होगा।

15 अप्रैल 1917 को गाँधीजी मोतिहारी के लिए रवाना हुए और वहां गौरव बाबू के मकान पर ठहरे। 16 अप्रैल को गाँधीजी ने अपने द्विभाषियों की सहायता से ग्रामीणों के बयान लिए। उसी समय गाँधीजी को जिला कलेक्टर डब्ल्यू.बी. आईकार्क की, गाँधी जी के तुरन्त चम्पारण छोड़ने की, अधिसूचना प्राप्त हुई। किन्तु गाँधीजी ने 13 अप्रैल, 1917 को ही तिरहुत डिविजन के कमिश्नर श्री एल.एफ. मार्सहेड को अपने यहाँ आन का कारण स्पष्ट लिख दिया था। उन्होनें लिखा था कि वे अपने मित्रों के कहने पर यहाँ आये हैं और वे स्वयं नील संबंधी मामलों की सच्चाई की जांच के लिए उत्सुक हैं और उनका कार्य सम्मानपूर्वक समझौता कराना है। जिला कलेक्टर के चम्पारण छोड़ने के आदेश के जवाब में गाँधीजी यह स्पष्ट किया कि वे तब तक प्रशासन से किसी तरह का कोई झगड़ा मोल नहीं लेंगें जब तक वह कि वह चम्पारण की जनता का समर्थन पूरी तरह प्राप्त ना कर लें अन्यथा आन्दोलन को कोई बल नहीं मिलेगा।

गाँधीजी ने, उनके जेल जाने के पश्चात् भी आन्दोलन यथावत् चलता रहे इसके लिए, पहले से ही योजना बना ली थी। गाँधीजी ने अपने सहयोगियो को निर्देश दे दिए थे कि कार्यक्रम इस प्रकार चले कि जैसे मैं जेल गया ही नहीं हूँ। कार्यकर्त्तागण नियमित रूप से गाँवों में जाये और सबकी गवाहियाँ लिखे। गवाही देने वाले लोगों के बयानों पर उनके दस्तखत अथवा अँगूठे के निशान ले लिये जायें। अपने दिशा निर्देशों की एक–एक प्रति उन्होनें धरणी बाबू एवं रामनौमी बाबू को जसौली पट्टी से लौटने पर दे दी थी।[8] 17 अप्रैल के दिन सभी किसानों ने गाँधीजी के साथियों को अपने बयान लिपिबद्ध करवाये इससे सभी किसानों का गाँधीजी के प्रति विश्वास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तब गाँधीजी ने अपने शब्दों में कहा

था कि[9] ''एक क्षण के लिए लोग दंड के भय से मुक्त हो गये थे एवं नवप्राप्त सुहृद के प्रेम की सत्ता के सम्मुख प्रणत हो रहे थे।'' 17 अप्रैल को दिन भर किसानों के बयान दर्ज करने का कार्य चलता रहा, इसी दिन गाँधीजी मोतिहारी गाँव के समीप जाना चाहते थे, जिसके बारे में उन्होंनें प्रशासन को पहले ही पत्र के माध्यम से अवगत करवा दिया था।

इसी दिन गाँधीजी को 18 अप्रैल को दिन में 12 बजे अनुमंडलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का समन मिला। जिसके कारण गाँधीजी ने अपनी यात्रा तुरन्त रद्द कर दी एवं अपने साथियों के साथ अपने जेल जाने के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा की। 18 अप्रैल 1917 को गाँधीजी ने चम्पारण की जनता के लिए जेल जाना स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने अदालत को 21 अप्रैल तक स्थगित रखा और गाँधीजी को गाँवों में ना घूमने और सुपरिन्टेडेन्ट और जिला मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए पाबन्द किया। किन्तु इस बीच गाँधीजी ने अपने मित्रों को पत्र लिखना जारी रखा।[10] 21 अप्रैल 1917 को मजिस्ट्रेट ने गाँधीजी को स्वयं की जमानत पर रिहा कर दिया। इसे चम्पारण में गाँधीजी की पहली जीत के रूप में देखा गया।[11]

22 अप्रैल को गाँधजी मोतिहारी से बेतियां गये, जहाँ वे बाबू हजारीमल की धर्मशाला गये एवं वहीं पर उन्होनें सभी लोगों की समस्याऐं सुनी और उनके बयान लिए। इसके पश्चात् गाँधीजी ने आस–पास के गाँवों का दौरा किया। किसानों के घरों के चारों और नील की खेती होते देख उनका हृदल पिघल गया। कई गाँवों का दौरा करने के बाद गाँधीजी ने किसानों की सभी समस्याओं को लिपिबद्ध करवाकर उनके बयान ले लिये थे। साथ ही संबंधित बयानों पर दस्तख्त भी ले लिया करते थे। इसके अलावा गाँधीजी ने कुछ प्लान्टर्स के भी बयान लिये जिससे कि इस समस्या का सार्वभौमिक हल निकल सके। कुछ निलहे साहबों ने गाँधीजी की जांच को बन्द करवाने के लिए अधिकारियों को गलत तथ्यों के साथ पत्र लिखे। उसके बाद कलकत्ता के यूरोपीय डिफेंस एसोसियेशन ने अपनी मुजफ्फर शाखा के कहने पर भारत सरकार को गाँधीजी का जांच कार्य बन्द करवाने के लिए लिखा। तब बिहार सरकार के सचिव ने गाँधीजी को श्री विलियम मौड से, जो कि वाइसराय के एक्जक्यूटिव कौंसिल का उपाध्यक्ष एवं सदस्य था और 10 मई को पटना आ रहा था, मिलने को लिखा। 10 मई को गाँधीजी मौड़ से मिले और मौड़ ने कहा कि गाँधीजी जांच स्वयं करें और अपने सहकर्मी वकीलों को इससे दूर रखें। किन्तु गाँधीजी ने यह बात अस्वीकार करते हुए कहा कि वे सम्पूर्ण जांच सरकारी नियमों के साथ ही करेंगें और जांच बंद नहीं करेंगें।

13 मई को गाँधीजी ने अपनी जांच की रिपोर्ट तैयार कर बिहार–उडीसा के मुख्य सचिव को भिजवाई। गाँधीजी ने रिपोर्ट में लिखा कि कई गाँवों में घूमने के बाद और लगभग चार हजार किसानों का बयान लेने के बाद मेरी राय में यह निष्कर्ष निकले हैं कि ऐसे संस्थान जहाँ कभी भी नील की खेती नहीं की गई है, वे कई नामों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते हैं और इनके मूल्य भी किसानों को जो मालगुजारी देनी पड़ती है उसके बराबर होते हैं। अदालतों द्वारा यह वसूली अवैध ठहराने के बाद भी इसे पूरा बन्द नहीं किया गया है। तीन काठिया पद्धति की शंरूआत नील की खेती से हुई किन्तु अब यह सभी फसलों पर लागू कर दी गई है। जिसके कारण किसान अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर कोई खास फसल जमीदार की मर्जी से उगाने को मजबूर हैं। इसके बदले में किसानों को पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दिया जाता। कृत्रिम नील बनने के बाद स्थानीय नील का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी जमीदार किसानों से ही कर रहें हैं। किसानों को नील की खेती छोड़ने के बदले में 100 रूपये प्रति बीघा तक कर देना पड़ रहा है। जहां किसानों से कर नहीं लिया गया वहां उन्हें तीन काठिया पद्धति के तहत कोई दूसरी फसल उगाने के लिए मजबूर किया गया है। किसानों से बहुत ही कम किराया देकर फैक्ट्रियों के लिए गाड़ियां किराये पर ली गई। फैक्ट्रियों के मजदूरों को भी बहुत ही कम वेतन दिया जा रहा है जो कि उनकी दैनिक मजदूरी का पांचवा हिस्सा है। जिन किसानों ने इन सब बातों को मानने से इनकार किया उन पर भारी जुर्माने लगाये गये हैं।

गांधीजी ने लिखा कि जो भी कर किसानों से वसूले गये हैं उनकी छोटी सी जांच होनी चाहिए। किसान अपनी इच्छा से फसल उत्पादन करे और जिस फसल में लाभ ना हो वह उसका उत्पादन करने के लिए बाध्य नहीं है। गाँधीजी की 13 मई को पेश की गई उक्त रिपोर्ट पर गर्वनर ने जिला मजिस्ट्रेट,

अनुमंडलाधिकारियों और प्लान्टरों को 30 जून तक अपनी–अपनी रिपोर्ट देने को कहा। श्री डब्ल्यू.एच. लिविस ने मोतिहारी के जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा जिसमें गाँधीजी की 13 मई 1917 की रिपोर्ट को सही बताया गया। 4 जून 1917 को लेफ्टिनेंट गर्वनर और एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों के साथ बैठक के बाद भारत सरकार की अनुमति से एक जांच समिति गठित की गई। गाँधीजी इस समिति का सदस्य बनने के लिए तैयार हो गये थे किन्तु इस शर्त के साथ के उन्हें अपने सहयोगियों के साथ परामर्श करने की स्वतंत्रता दी जायेगी।[12]

समिति के अध्यक्ष एफ.जी. स्लाई थे तथा समिति के सदस्यों में श्री एल.सी. ऐडमी, माननीय श्री डी.जे. रीड, श्री जी. रैनी एवं श्री मोहनदास करमचन्द गाँधी थे। जांच समिति के निर्धारित किये गये कर्त्तव्यों में से कुछ इस प्रकार थे[13]– चम्पारन जिले के जमीदारों और किसानों के संबंधों की और नील की खेती संबंधी सभी जांच करना। इन विषयों में प्राप्त प्रमाणों की जांच करना और आगे जांच कर अन्य प्रमाण एकत्रित करना। अपने निष्कर्षों से सरकार को अवगत कराना और अनुचित प्रथाओं और शिकायतों को दूर करने के उपाय सुझाना।

जाँच समिति को रिपोर्ट लगभग तीन माह में सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। जाँच समिति ने प्रान्त के अखबारों में एक सूचना छपवा दी थी जिसमें लिखा गया था कि जिन व्यक्तियों, संघों और संस्थाओं को लिखित में गवाही देनी हो वे अपनी गवाहियाँ समिति के मन्त्री को भेज दें। सूचना में यह भी कहा गया था कि मोतिहारी और अन्य केन्द्रों में आवश्यकतानुसार 15 जुलाई से बैठकें आरम्भ की जाएगी। समिति की प्रारम्भिक बैठक 11 जुलाई को रांची में हुई और 17 जुलाई से बेंतिया में उसकी खुली बैठके आरम्भ हुई। साथ ही मोतिहारी में भी बैठकें हुई और दोनो जगहों पर किसानों और अधिकारियों की गवाहियाँ दर्ज की गई। 8 संस्थाओं में स्थायी जांच करके नील की कोठियों के हिसाब–किताब देखे गये।

3 अक्टूबर 1917 को समिति ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट पर अपनी अन्तिम सहमति दे दी और उसे बिहार सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। लगभग सभी अनुशंसाऐं सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई और 18 अक्टूबर 1917 को इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई। समिति की कुछ प्रमुख अनुशंसाऐं इस प्रकार थी[14] कि तीन काठिया पद्धति को पूर्णतया बन्द कर दिया जाना चाहिए। नील की खेती किसानों की स्वेच्छा से हो और इसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक ना हो। नील के पौधों का मूल्य किसान स्वयं निर्धारित करे। जिन किसानों ने नकदी अथवा हैंडनोट के द्वारा कर चुकाया उन्हें कोठियों से उसका 1/4 भाग वापस मिल जाए। करों की वसूली गैरकानूनी है और भविष्य में किसान लिखित मालगुजारी से अधिक का भुगतान ना करें। किसानों के वारिसों के नाम दर्ज करवाने के लिए वसूली गई किसी भी तरह की फीस गैर कानूनी है। ठेकेदारों और जमीदारों को यह सूचित किया जाना चाहिए कि अपने इलाकों में वे लोग मवेशियों के चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि को छोड़ दें। गाड़ी के सट्टों की अवधि 5 वर्ष से अधिक की नहीं हो और इस संबंध में स्वेच्छा से लोग समझौता करें। मजदूरी भी स्वेच्छा पर आधारित हो किसी से जबरन मजदूरी ना करवायी जाए।

जांच समिति की अनुशंसाऐं चम्पराण जिले में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर प्रसारित कर दी गई। बिहार प्लान्टर संघ के सचिव, जे.एम. विल्सन ने अपने कानूनी सलाहकार की राय 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित करवा दी। जिसका आशय प्लान्टरों से तीन काठिया पद्धति के अधिकार छीन लेने के संबंध में विरोध प्रदर्शन करना था। यह चिट्ठी स्टेट्समैन के 20 नवम्बर के अंक में प्रकशित हुई। 24 नवम्बर को एक और चिट्ठी प्रकाशित हुई जिसमें गांधीजी, जांच समिति एवं सरकार की घोर आलोचना की गई।[15]

प्लान्टरों द्वारा समिति की रिपोर्ट पर असंतोष जारी किया गया। 'इंग्लिशमैन' और 'स्टेट्समैन' जैसे अखबारों ने भी सरकार की अधिसूचना पर सवाल उठाये। प्लान्टर्स की तरफ से समिति के सदस्य पी. कैनेडी एवं श्री जे.बी. जेम्सन ने भी समिति की रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्ति किया किन्तु 29 नवम्बर, 1917 को चम्पारण कृषि विधेयक प्रस्तुत किया गया और बाद मे इस विधेयक को चम्पारण कृषि कानून नाम दे दिया गया। इस प्रकार चम्पारण कृषि कानून के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात् किसान शोषित जीवन से मुक्त हुए। चम्पारण किसानों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए किए गए गाँधीजी के प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आए और उन्होनें किसानों को इस शोषण से मुक्त करवाया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कालिकिंकर दत्त, बिहार में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, पृ. 183
2. कालिकिंकर दत्त, बिहार में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, पृ. 183
3. कालिकिंकर दत्त, बिहार में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास
4. एम.के.गाँधी, सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, पृ. 599
5. एम.के.गाँधी, सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, पृ. 362
6. कालिकिंकर दत्त, बिहार में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, पृ. 209
7. मूल गुजराती पत्र की हस्तलिखित प्रति (एस.एन. 1918) की फोटो नकल से, सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, पृ. 365
8. एम.के.गाँधी, सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, खण्ड 13, पृ. 371 से उद्धृत
9. वीकली रिपोर्ट ऑफ डाइरेक्टर इन्टेलीजेन्सी, होम डिपार्टमेन्ट (पॉल) बी.एस.एन. 2669, मई 1917, पेज नं. 17–18 (445–48), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
10. कालिकिंकर दत्त, बिहार में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, पृ. 376–377
11. कालिकिंकर दत्त, बिहार में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, पृ. 29, 30, 31
12. कालिकिंकर दत्त, बिहार में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, पृ. 264
13. एम.के.गाँधी, सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, खण्ड 13, पृ. 596
14. कालिकिंकर दत्त, बिहार में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, पृ. 275–278
15. कालिकिंकर दत्त, बिहार में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, पृ. 278–279

❖◆❖